



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर  
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)  
एकलव्य भवन

डॉ० एस० राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर  
फोन:—0141—5150938, फैक्स :—0141—2705067

website:<http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail:[rajasthansos@gmail.com](mailto:rajasthansos@gmail.com)

# पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं निर्माण (मय कागज) हेतु ई—निविदा प्रपत्र 2016—2017



**राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर**  
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)  
**एकलव्य भवन**

डॉ० एस० राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर  
फोन:—0141—5150938, फैक्स :—0141—2705067

website:<http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail:[rajasthansos@gmail.com](mailto:rajasthansos@gmail.com)

**विषय सूची**

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस	3
2	निविदा भरने के सामान्य निर्देश एवं शर्तें	4—19
3	निविदादाता की डाटा शीट	20—21
4	निविदादाता की अर्हता एवं मूल्यांकन की कसौटी	22—23
5	तकनीकी विड	24—27
6	वित्तीय विड	28—30
7	निविदादाता द्वारा घोषणा	31
8	Declaration by the Bidder regarding qualification	32



**राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर**  
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)  
**एकलव्य भवन**

डॉ0 एस0 राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर  
फोन:-0141-5150938, फैक्स :-0141-2705067

website:<http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail:[rajasthansos@gmail.com](mailto:rajasthansos@gmail.com)

**निविदा प्रपत्र**  
**पुस्तक मुद्रण हेतु ई-टेंडर प्रपत्र**  
**वेब ऑफसैट एक / दो / चार रंग मुद्रण हेतु**

क्र.सं.	कार्य का नाम	पुस्तक मुद्रण हेतु ई-टेंडर प्रपत्र वेब ऑफसैट एक / चार रंग मुद्रण हेतु
1	निविदा संख्या	04
2	निविदा की अनुमानित लागत :	लगभग 4 करोड़ रुपये
3	अमानत राशि ( निविदा राशि का 2 %)	8 लाख रुपये
4	टेंडर शुल्क	1000 रुपये
5	प्रक्रिया शुल्क	1000 रुपये
6	ऑनलाईन निविदा फार्म डाउनलोड करने की दिनांक	07.10.2016 से 07.11.2016 तक समय:- प्रातः 9:00 बजे <a href="http://www.rsos.rajasthan.gov.in">http://www.rsos.rajasthan.gov.in</a>
7	ऑनलाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक	07.10.2016 से 07.11.2016 तक समय:- प्रातः 9.00 बजे
8	अमानत राशि, एवं टेंडर फीस का डी.डी., निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में एवं प्रक्रिया शुल्क का डी.डी. मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस. एल, जयपुर के पक्ष में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय।	07.11.2016 को समय:- दोपहर 12:00 बजे तक
9	ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	07.11.2016 को अपराह्न 3.00 बजे
10	निविदा खोलने का स्थान	RSOS कार्यालय, जयपुर
11	निविदा की वैधता	90 दिवस
12	निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी	निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

## राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

### निविदा भरने के सामान्य निर्देश एवं शर्तें

(पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु)

#### परिभाषाएं (Definitions) : –

निविदा एवं अनुबंध की शर्तों में अथवा निविदा प्रपत्र में जहां-जहां निम्नलिखित शब्द/शब्द-समूह प्रयुक्त हुए हैं, उनका प्रयोग निम्नांकित अर्थों में माना जायेगा:-

- |                               |   |                                                                               |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| (क) 'मुद्रक' का अर्थ है       | – | निविदादाता प्रेस                                                              |
| (ख) 'ओपन स्कूल' का अर्थ है    | – | राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर                                               |
| (ग) 'अध्यक्ष' का अर्थ है      | – | अध्यक्ष निष्पादक मण्डल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर                       |
| (घ) 'निदेशक' का अर्थ है       | – | निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर                                       |
| (ङ) 'सचिव' का अर्थ है         | – | सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर                                         |
| (च) 'तकनीकी समिति' का अर्थ है | – | अध्यक्ष निष्पादक मण्डल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति |
| (छ) 'क्षमता' का अर्थ है       | – | मुद्रक की मुद्रण कार्य की क्षमता                                              |

1. निविदा प्रपत्र का भलीभांति अध्ययन करने के उपरान्त ही दरें पूर्ण रूप से Excel फॉरमेट में ऑनलाईन (Online) भरनी होंगी।
2. निविदा केवल ऑनलाईन ही मान्य होंगी।
3. निविदादाता टैण्डर प्रपत्र राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की वेबसाईट <http://www.rsos.rajasthan.gov.in> पर देख सकते हैं एवं वेबसाईट <https://eproc.rajasthan.gov.in> से देख, डाउनलोड कर सकते हैं।
4. निविदादाता को सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के तहत डिजीटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। जिनके प्रस्ताव पर डिजीटल हस्ताक्षर नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
5. अमानत राशि – मुद्रक द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार वांछित अमानत राशि डी.डी. / बैंक गारन्टी न्यूनतम 1 वर्ष अथवा कार्य समाप्ति तक जो भी बाद में हो, के लिये निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के नाम से देनी होगी। डी.डी. की स्कैन कॉपी ऑनलाईन अपलोड करनी होगी।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

(i) वैब ऑफसैट मुद्रण एक एवं चार रंग मुद्रण हेतु :-अमानत राशि रू 8,00,000/-

(ii) निविदा फीस, प्रौसिसिंग फीस एवं अमानत राशि के डी.डी. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को निविदा खोलने से पहले पृथक लिफाफे में Physically उपलब्ध कराने होंगे, उक्त डी.डी. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर को उपलब्ध न कराने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। निविदा फीस डी.डी. रूपये 1000/- एवं अमानत राशि रूपये 8,00,000/- का डी.डी. निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के नाम, प्रोसेसिंग फीस का डी.डी. रूपये 1000/- Managing Director, RISL, Jaipur के नाम से देय होंगे।

**नोट:-** राजस्थान राज्य की एस.एस.आई. इकाई से अमानत राशि निविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत तथा रूग्ण उद्योगों की दशा में (एस.एस.आई. से भिन्न) जिनके मामले में औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह निविदा मूल्य का 1 प्रतिशत होगी। इन इकाईयों को इस बाबत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी हुआ प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड करनी होगी। जिसके आधार पर धरोहर राशि में निर्धारित छूट देय होगी।

6. निविदादाता को निविदा दो भागों में ऑनलाइन निम्नानुसार प्रस्तुत करनी होगी:-

(i). तकनीकी निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भर कर एवं वांछित संलग्नक निविदादाता को ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड करने होंगे, जिसके अभाव में निविदा स्वतः ही तकनीकी रूप से निरस्त समझी जावेगी। तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय निविदा प्रपत्र ऑनलाइन खोले जाएंगे।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

(ii). वित्तीय निविदा प्रपत्र में निविदादाता को दरें, वैबसाईट <https://eproc.rajasthan.gov.in> से Excel फॉरमेट में ऑनलाईन भरनी होंगी। दरें भरते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दरें भरी जानी चाहिए:—

(अ)परिवहन व्यय : पुस्तकों की आपूर्ति राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जयपुर के निर्दिष्ट स्थान पर करने, लोडिंग एवं अनलोडिंग आदि के समस्त व्यय मुद्रक को वहन करने होंगे।

(ब) कर : स्थानीय कर, राज्य कर, केन्द्रीय कर, चुंगी आदि समस्त कर पृथक से वित्तीय बोली प्रपत्र में दर्शाए जाएंगे।

(स) मुद्रण व्यय : पुस्तकों के लिए कागज एवं कवर, मुद्रण से संबंधित नेगेटिव/पोजिटिव बाईंडिंग/पिनिंग/ग्ल्यूपेस्टिंग/कलर आदि समस्त का व्यय मुद्रक द्वारा वहन किये जायेंगे, जो मुद्रण दर में शामिल होना माने जाएंगे।

(द) बीमा व्यय : निविदादाता द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के गोदाम में पुस्तकों की आपूर्ति तक होने वाली आकस्मिक हानि से सुरक्षा के लिए समस्त बीमा व्यय निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे। परिवहन में ओपन स्कूल के माल की किसी प्रकार की हानि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा।

- इन दरों में बाईण्डिंग, आपूर्ति, भाड़ा एवं अन्य सभी व्यय (करों को छोड़ते हुए) को सम्मिलित करते हुए दरें अंकित की जानी चाहिए।

7. छपवाई जाने वाली पुस्तकों का प्रारूप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखा जा सकता है।
8. निविदा में दी गई दरें एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी।
9. निविदाकार निविदा के साथ आवश्यक रूप से संबंधित सर्किल के बिक्रीकर अधिकारी से प्राप्त बिक्रीकर शोधन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेंगे। ऐसी फर्म जिनका बिक्री कर विभाग से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है निविदा में भाग नहीं ले सकती है।
10. अनुमोदित व स्वीकृत निविदादाता फर्म की कार्यक्षमता, अस्तित्व के संबंध में निविदा मूल्यांकन समिति या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अवलोकन किया जा सकेगा।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

11. पूर्व में किसी भी सामग्री की छपाई एवं गोपनीयता संबंधी कारण से किसी भी स्तर से डिबार/ब्लैक लिस्टेड फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकेगी। केन्द्र/राज्यों के विभागों /उपक्रमों/यूनवर्सिटी/परीक्षा बोर्ड द्वारा काली सूची में घोषित नहीं होना चाहिए ।
12. निविदा के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधान लागू होंगे ।
13. किसी निविदादाता द्वारा यदि इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र जमा करवाने में देरी हो जाती है तो उसके लिए आरएसओएस जिम्मेदार नहीं होगा ।
14. निविदा मुद्रण कार्य में संलग्न फर्मों द्वारा ही दी जा सकेगी ।
15. तकनीकी निविदा के साथ अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न होने आवश्यक हैं उसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि निविदा प्रपत्र को वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो निविदा शुल्क की राशि रूपये 1000/ तकनीकी निविदा के साथ संलग्न होनी आवश्यक है। निविदा शुल्क की राशि संलग्न नहीं होने पर निविदा निरस्त समझी जावेगी। निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर और लघु उद्योग फर्मों को निविदा प्रारूप विहित लागत के 50 प्रतिशत पर बेचा जायेगा। विहित प्रमाण पत्र रखने वाली राजस्थान की कुटीर और लघु उद्योग फर्म निविदा फार्म का सीधे वैबसाइट से डाउन लोड करने पर निविदा प्ररूप की विहित लागत की 50 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर सकती है।
16. इच्छुक निविदाकारों को निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 8,00,000/- निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पक्ष में जयपुर में देय बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी (अनुसूचित बैंक की) के रूप में जमा करानी होगी। निविदाकार द्वारा निर्धारित समय में अनुबंध नहीं करने, प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने, निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तों सहित निविदा प्रस्तुत करने अथवा निविदा खुलने के उपरांत दरों में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। बैंक गारण्टी अनुबंध समाप्ति की तिथि से छः माह बाद तक वैध होनी आवश्यक है। राजस्थान की लघु एवं सूक्ष्म उद्योग इकाई को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी Acknowledgement of EM-II form की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर अनुमानित लागत की 0.5 प्रतिशत की राशि अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई अमानत राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
17. निविदा खोलने की नियत तिथि को उपस्थित निविदाकारों एवं निविदा समिति के समक्ष Online तकनीकी प्रस्ताव खोले जाएंगे।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

18. तकनीकी बिड के परीक्षण/मूल्यांकन पश्चात् तकनीकी तौर पर योग्य निविदाकारों के ही वित्तीय प्रस्तावों पर विचार किया जा सकेगा। वित्तीय प्रस्ताव खोलने से पूर्व तकनीकी तौर पर सफल निविदादाताओं के समक्ष ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे। निविदाएं वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से तीन माह और बढ़ाया जा सकता है।

**19. कार्य सम्पादन प्रतिभूति एवं अनुबन्ध पत्र :-**

सफल निविदाकारों को "Letter of Intent" जारी करने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में निर्धारित प्ररूप में पांच हजार रुपये या समय-समय पर यथा संशोधित राशि के स्टाम्प पर एक करार निष्पादित करना होगा और संविदा की यथावत क्रियान्विति के लिए सफल निविदादाता को सामग्री के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करवानी होगी। उक्त प्रतिभूति निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पक्ष में जयपुर में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक/ अनुसूचित बैंक द्वारा जारी गारण्टी के रूप में जमा करानी होगी। बैंक गारण्टी अनुबंध समाप्ति की तिथि के 6 माह बाद तक वैध होनी आवश्यक है। राजस्थान के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग इकाई को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी Acknowledgement of EM-II form की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर अनुमानित लागत की 1 प्रतिशत की राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभूति की रकम समस्त (एग्रीड) ठेके के पूर्ण होने की तारीख से दो माह पश्चात् लौटा दी जायेगी। ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। करार पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय प्रदायक करेगा और क्रेता अधिकारी द्वारा स्टाम्प लगे हुए निष्पादित करार की एक प्रतिलिपि प्रदायक को निशुल्क दी जायेगी। यदि निविदाकार प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या विहित कालावधि में अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निर्बन्धनो व शर्तों का भंग माना जायेगा तथा धरोहर/अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। निर्बन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या ठेके को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर धरोहर/अमानत राशि क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी और इस संबंध में क्रेता अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

20. कागज के मानक :- पुस्तकों में जो कागज प्रयोग में लिया जायेगा उसके मानक



(Specifications) निम्न प्रकार से होने चाहिए :-

(ए) पुस्तकों के भीतरी पृष्ठ हेतु

- (i) कागज सफेद 70 जीएसएम, होना चाहिए।  
(ii) कागज 70 जीएसएम मैफलिथो Virgin Pulp से निर्मित BIS Code 1848:2007 A Grade मिल द्वारा निर्मित होना चाहिए तथा उसकी विशिष्टताएं निम्नानुसार होनी चाहिए:-

(a) Grammage (g/m <sup>2</sup> )	70 GSM $\pm$ 4.0%
(b) Mechanical Pulp	Not more than 20
(c) PH	Not less than 5.0
(d) Tensile Index(N.m/g)	
CD	17.0 min.
MD	25.0 min.
(e) Brightness (%)	72.0 min.
(f) Opacity(%)	80 min.
(g) Cobb (g/m <sup>2</sup> )	
Top	-
Wire	-
Avg.	25 Max.
(h) Tear Index (mN.m <sup>2</sup> /g)	
CD	4.00min.
MD	3.50 min.

- यदि निविदादाता द्वारा कागज के उक्त मापदण्डों के बिन्दु ii (a) में कमी पाये जाने पर अनुपातिक रूप से कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त Specifications के बिन्दु ii (a to h) में आने वाले अन्तर पर प्रति बिन्दु .25 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में कटौती की जायेगी।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

(बी) पुस्तकों का कवर पृष्ठ

- (i) कवर पृष्ठ आर्ट कार्ड का 220 जीएसएम आर्ट कार्ड कार्ड **A Grade** मिल का होना चाहिए तथा IS : 4658/1988 Specifications with amendment no. 2 May 2002. के अनुसार होना चाहिए तथा उसकी विशिष्टताएं निम्नानुसार होनी चाहिए।

(a) Grammage ( $\text{g/m}^2$ )

220 GSM $\pm$ 5.0%	
(b) Burst Index ( $\text{KPa.m}^2/\text{g}$ )	0.80 Min.
(c) Wax Pick	No Pick on 5A
(d) Surface pH	5.5 to 8.0
(e) Gloss(%)	45.0 min.
(f) Brightness(%)	80.0 min.
(g) Stiffness Factor	175 min.
(h) Cobb 60	
Front	25 max.
Back	25 max.
(i) Smootness, Bendtsen ml/min	
Front	75 max.
Back	75 max.
(j) Bulk ( $\text{cm}^3/\text{g}$ )	1.00 min.

- यदि निविदादाता द्वारा कवर पृष्ठ के उक्त मापदण्डों के बिन्दु i (a) में कमी पाये जाने पर अनुपातिक रूप से कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त Specifications के बिन्दु ii (a to j) में आने वाले अन्तर पर प्रति बिन्दु .25 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में कटौती की जायेगी।
- जिस मिल से कागज एवं कवर क्रय किया जाएगा उस मिल द्वारा जारी कागज क्रय के बिल की प्रमाणित प्रति भुगतान के समय संलग्न करनी होगी। मेपलीथों कागज वर्जिन पल्प द्वारा निर्मित है इस आशय का मिल द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(सी) साईज:-

पुस्तक की साईज 21X27 सेमी होगी यदि पुस्तक की साईज में कमी पाई जाती है तो अनुपातिक रूप से कटौती की जायेगी एवं शास्ति स्वरूप पुस्तक मूल्य पर .25 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

21. मुद्रण/आपूर्ति अवधि

- (i) विभाग द्वारा छपाई जाने वाली पुस्तकों की सीडी उपलब्ध करवाई जायेगी, किन्तु आवश्यक संशोधन / डिजाइन में परिवर्तन विभाग के निर्देशानुसार करने होंगे। सफल निविदाकार द्वारा प्रदाय की जाने वाली मुद्रित पुस्तकों की डिजाइन, बाईडिंग एवं स्टिचिंग के पश्चात अनुमोदित दो प्रतियां विभाग में सैम्पल के रूप में रखी जावेगी तथा सफल निविदाकार द्वारा सैम्पल के अनुरूप ही पुस्तकें तैयार कर सप्लाई की जावेगी तथा ऐसी प्रतियों को ही विभाग द्वारा मान्य व स्वीकार किया जायेगा।
- (ii) पुस्तकों की सी.डी उपलब्ध कराने के पश्चात अन्तिम प्रूफ का अनुमोदन राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर की अकादमी शाखा द्वारा किया जायेगा।
- (iii) अन्तिम प्रूफ अनुमोदन के पश्चात 45 दिवस की अवधि में मुद्रण करने एवं पैकिंग कर कार्यालय तक पहुँचाने में लगने वाला सम्पूर्ण समय शामिल है। दुबारा (रिपीट) कार्यादेश दिये जाने पर समय सीमा 20 दिवस रहेगी।
- (iv) निविदा में जो पुस्तकों की कुल संख्या अंकित की गई है वो अनुमानित है, संख्या में कमी एवं बढोतरी हो सकती है। जिनका मुद्रण समय पर आवश्यकतानुसार करवाया जाएगा।

**22. पैकेजिंग एवं बाईडिंग:-** संविदाकार उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए अनुबंधित प्रदायक/मुद्रक उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।

(अ) पैकेजिंग :-

क्र.स.	पृष्ठ संख्या	एक पैकेट में पुस्तकों की संख्या
1	128 पृष्ठ तक	25
2	129 से 250 तक	15
3	251 से 300 तक	10
4	301 से अधिक	10

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

(ब) बाईडिंग :-

- (i) मुद्रक पुस्तक के फर्मों की छपाई, फोल्डिंग, कटिंग तथा बाइंडिंग का विशेष ध्यान रखें ताकि पुस्तक का गैट-अप अच्छा हो।
- (ii) बाइंडिंग निम्नानुसार करनी होगी:-

क्र.स.	पृष्ठ संख्या	
1	128 पृष्ठ तक	2 पिन सेन्टर बाइंडिंग
2	129 से 256 ऊपर	3 साइड पिन बाइंडिंग
3	257 एवं अधिक	3 पिन और परफेक्ट बाइंडिंग

- (iii) 257 पृष्ठ से अधिक पृष्ठ की पुस्तकों पर परफेक्ट बाइंडिंग की जाएगी, जिसमें 22 गेज के तार की पिनिंग करनी होगी व आई.एस.आई. मार्का ग्लू (Glue) काम में लिया जाना होगा।
- (iv) यह ध्यान रखा जाए कि पुस्तक की मोटाई के अनुसार लम्बी पिन लगायें ताकि फर्मों की मजबूती से पकड़ हो, इसमें पाई गई कमी को गंभीर माना जाकर दण्डित किया जा सकेगा।
- (v) बाइंडिंग के समय यह विशेषतः ध्यान रखा जाए कि संबंधित पुस्तक के सभी पृष्ठ क्रमवार हों, कोई फर्मा दो बार अथवा अन्य पुस्तक का नहीं आ जावे। यह भी विशेष ध्यान रखा जाए कि पुस्तक का मैटर बाइंडिंग के बीच में नहीं दबे।
- (vi) पैकिट चारों ओर से प्लास्टिक स्ट्रिप से बंधा होना चाहिए।

### 23. मुद्रण संबंधी निर्देश एवं विशिष्टताएँ:-

- मुद्रण इंक:- पुस्तक के मुद्रण में प्रयुक्त स्याही "बुक ब्लेक ग्रेड-4" या उससे उच्च स्तर की होनी चाहिए। टैक्सट लेजर प्रिन्टर में रंगीन मुद्रण के लिए तथा कवर पर चार रंगों में मुद्रण के लिए उच्च कोटि का कलर प्रयुक्त करना होगा।
- मुद्रण में निर्धारित स्पेशिफिकेशन की स्याही से हल्की स्याही उपयोग में लिये जाने पर समिति की अनुशंसा के आधार पर कटौती की जावेगी।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

### 3. मुद्रण की गुणवत्ता:

- (i) समस्त मुद्रण कार्य उच्च कोटि की प्लेट से करना अनिवार्य होगा।

(ii) पुस्तक मुद्रण के लिए प्रत्येक 50,000 प्रतियों के लिए नई प्लेट काम में ली जायेगी।

4. पुस्तक की पिनिंग और आकार अनिवार्यतः पुस्तक की दी गयी साइज के अनुसार होगा अन्यथा कम आकार के लिए स्टेट ओपन की तकनीकी समिति द्वारा की गयी अनुशंसानुसार निरूपित तकनीकी दण्ड मुद्रक को देना होगा।

5. पुस्तक में आठ से अधिक अशुद्धियां होने पर मुद्रक के द्वारा पुस्तक में शुद्धि पत्र स्वयं के खर्चे पर लगाया जाएगा। उसके बाद ही पुस्तक स्वीकार की जाकर भुगतान किया जाएगा अन्यथा पुस्तक त्रुटिपूर्ण मानकर जब्त कर ली जाएगी।

(i) मुद्रण अशुद्धियों के लिए प्रति टाइटल निम्नानुसार कटौती की जाएगी:—

(a) 4 अशुद्धियों तक – कुल मुद्रण की राशि पर 1000/— शास्ति प्रति अशुद्धि—

(b) 5 से 8 अशुद्धियों तक – कुल मुद्रण की राशि पर 1500/— शास्ति प्रति अशुद्धि

(c) अतिरिक्त एक अशुद्धि पर – कुल मुद्रण की राशि पर 2500/— शास्ति प्रति अशुद्धि

- एक पुस्तक में से 20 अशुद्धियों से अधिक अशुद्धियां होने पर मुद्रक को पुस्तक मुद्रण के लिए डिबार (Black List) किया जाएगा एवं नियमानुसार शास्ति की कटौती की जाएगी।

6. पुस्तकों की मुद्रण गुणवत्ता:— यदि पुस्तक में निम्नलिखित अनुसार कमियां पाई जाती है तो समिति की अनुशंसानुसार प्रत्येक कमी पर 2 प्रतिशत राशि की कटौती पृथक से मुद्रक के बिल में से की जावेगी।

a) यदि जिल्द बंदी का काम सफाई से नहीं किया गया हो तो।

b) यदि चित्रों एवं चित्रनिरूपण स्पष्ट न हो, कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सी.डी. के अनुरूप न हो।

c) प्रयुक्त स्याही अच्छी गुणवत्ता की न हो।

d) फोन्ट साइज, स्पेसिंग, कम्पोजिंग, स्केनिंग, प्लानिंग, प्रोसेसिंग और चित्र मुद्रण कार्य प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप न हो।

e) मुद्रित मैटर की इंकिंग, मुद्रण इम्पोज, सर्वथा स्पष्ट और साफ—सुथरी न हो।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)

फर्म की रबड़ मोहर

f) इसके अतिरिक्त पुस्तक में Filling in, Showthrough, Set off, Scum, SLUR, Picking & Plucking, Bleeding, Cover, Colour Registration & Printing, Text Colour Registration & Printing दोष होने पर।

- g) पुस्तक किसी अन्य प्रकार से तकनीकी तौर पर त्रुटिपूर्ण हो।  
उपरोक्त कटौतियाँ, समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार निर्णित की जायेंगी जिनका आधार मुद्रक द्वारा की गई आपूर्ति से रैन्डम सैम्पलिंग से निकाली गई पुस्तकें होंगी। उपरोक्त तकनीकी दोषों में से किसी भी प्रकार की त्रुटि अत्यधिक होने की स्थिति में पुस्तक को दोषपूर्ण श्रेणी में गणना करते हुए पुस्तक के मूल्य के बराबर मुद्रक के भुगतान से कटौती की जायेगी एवं दोषपूर्ण पुस्तक जब्त कर ली जावेगी।  
मुद्रक द्वारा सप्लाई की गई पुस्तक गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं होगी, तो ऐसे मुद्रक को बहिष्कृत भी किया जा सकेगा।

7. सप्लाई की गई पुस्तकों की संख्या में कम/दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त पुस्तकें प्राप्त होने पर पुस्तक पर मुद्रित मूल्य के अनुसार कटौती की जाएगी एवं यदि कम/दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त पुस्तकों की संख्या अधिक पाई जाती है तो ऐसे मुद्रक को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

#### 24. भुगतान की शर्तें –

- क. मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु निर्धारित अवधि में सम्पूर्ण सामग्री की रसीद प्रस्तुत करने पर आपूर्ति की गई पुस्तकों के कुल मूल्य का 80 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
- ख. चयनित सैम्पल के कागज की जाँच आरएसओएस द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला में करवाई जायेगी। कागज की प्रयोगशाला जाँच, व अन्य जाँच रिपोर्ट के पश्चात शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।
- ग. कागज एवं कवर पृष्ठ की प्रयोगशाला जाँच पर होने वाला व्यय मुद्रणकर्ता के बिल से वसूल किया जायेगा। प्रयोगशाला जाँच में कमी पाये जाने पर कागज एवं कवर पृष्ठ के विभिन्न मानदण्डों को दिये गये भारानुसार कटौति की जावेगी।
- घ. शेष अंतिम:—  
(i) मुद्रक की बिल की शेष राशि में से विलम्ब दण्ड, तकनीकी दण्ड, अप्राप्त प्रतियों की कटौती, दोषपूर्ण प्रतियों की कटौती व अन्य कोई कटौती यदि हुई ता काटकर अंतिम भुगतान किया जायेगा।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)

फर्म की रबड़ मोहर

(ii) मुद्रक को सामग्री के मुद्रण हेतु दी गई सी.डी. व अन्य सामग्री जो ओपन स्कूल द्वारा दी गई है, को आवश्यक रूप से कार्य समाप्ति के 30 दिवस में जमा करानी होंगी।

(iii) निर्दिष्ट संख्या से अधिक मुद्रित प्रतियाँ बिना किसी मूल्य अदायगी के ओपन स्कूल को सौंपनी होंगी। ऐसी स्थिति में मुद्रक को इन प्रतियों का मुद्रण व्यय देय नहीं होगा।

25. अनुमोदित प्रदाय के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली सेवा/सामान संबंधी शर्तों, विस्तृत विवरण आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसको इन शर्तों या विस्तृत विवरण आदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, क्रेता अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिए और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।
26. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप (Sublet) सकेगा और न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
27. मुद्रित की गई सामग्री आदेशानुसार सर्वोत्तम किस्म की तथा स्वीकृत प्रमाणिक नमूनों से पूरी तरह से मेल खाती हुई होनी चाहिए। सामग्री के मुद्रण के संबंध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। जिन सामग्रियों को अस्वीकार कर दिया जाये या बदलवाई जाये और, ऐसी वस्तुओं के प्रदायों की अस्वीकृत अथवा बदले जाने के कारण प्रदायकों/निविदाकारों को कोई हानि हो तो वह पूर्ण रूप से निविदाकार के जिम्मे होगी।
28. (क) क्रेता अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि समय-समय पर प्रदायक के भू-गृहादि (प्रेमिसिस) में जा सकेगा और सामान की तथा वस्तुओं की बनावट की जांच और परीक्षा करने के लिए वह अधिकृत होगा।
- (ख) निविदाकार को अपने कार्यालय, गोदाम तथा वर्कशाप के भू-गृहादि का पूरा पता निश्चित रूप से देना होगा जहाँ जाकर निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना होगा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
29. यदि आदेशित/अनुमोदित किस्म, मेक या परिमाण के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो वह अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा प्रदायक को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के उचित समय में बदलना होगा। यदि अपरिहार्य कारणों से सामान बदला जाना संभव न हो तो ऐसी वस्तुओं का मूल्य यथोचित रूप से कम कर दिया जायेगा। क्रेता अधिकारी द्वारा नियत किये गये मूल्य/निर्णय अंतिम एवं स्वीकार्य होंगे।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)

फर्म की रबड़ मोहर

30. अस्वीकृत सामग्री को, अस्वीकृति की सूचना की तारीख से 3 दिवस में निविदाकार द्वारा अवश्य हटा लिया जाना चाहिये। नहीं हटाने की स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा। क्रेता के भू-गृहादि में रखे अस्वीकृत सामान को होने वाली हानि, कमी, क्षति के लिए विभाग किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगी।

31. यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निविदा को

निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

**32.** यदि संविदाकार आपूर्ति विनिर्दिष्ट समय के भीतर या वर्णित समय के भीतर पूरी न कर पाये तो क्रेता अधिकारी को यह हक होगा कि वह संविदाकार को सूचना दिये बिना संविदाकार के हिसाब में और उसकी जोखिम पर कार्य या उसका कोई भाग जो संविदाकार सप्लाई न कर पाया हो और कहीं से भी करवा लेगा तथा उस पर किया गया अधिक भुगतान की अन्तर राशि का भुगतान संविदाकार (निविदाकर्ता) को करना होगा। संविदाकार पर क्रेता द्वारा दिए गए कार्य को करने में विफल रहने के कारण होने वाली हानि या नुकसान का उत्तरदायित्व होगा। ऐसी हानि या नुकसान की भरपाई एक महीने में न कर पाये तो यह वसूली फर्म के बकाया भुगतानों, प्रतिभूति राशि से वसूल कर ली जाएगी।

**33. परिसमापित नुकसानी** – निर्धारित कार्य अवधि में सामग्री विलम्ब आपूर्ति होने पर वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन मुद्रित सामग्री एवं कार्य के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका संविदाकार/निविदाकार, प्रदाय करने में असफल रहा है :-

- (1) विहित सुपूर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए **2.5 प्रतिशत**
- (2) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए **5 प्रतिशत**
- (3) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए **7.5 प्रतिशत**
- (4) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए **10 प्रतिशत**
- (5) प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
- (6) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)

फर्म की रबड़ मोहर

- (7) यदि प्रदाय कर्ता किन्ही बाधाओं के कारण सविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस अधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न की प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (8) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपूर्दगी में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।



34. **वसूलियां** :- परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता द्वारा कम प्रदाय, टूट फूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा। यदि प्रदायकर्ता संतोष जनक ढग से उनको नहीं बदलता है तो परिमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर एक्ट या प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
35. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मर्दों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखेगा।
36. निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार होगा।
37. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जबतक क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
38. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)

फर्म की रबड़ मोहर

39. **बीमा** :- सामान गंतव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाश, या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे - युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों के भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

40. **दरों की तुलना** :-

उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं हैं, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए राजस्थान की फर्मों द्वारा कोट की गई दरों से राजस्थान मूल्य

परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जावेगा और राजस्थान के बाहर की फर्मों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जावेगा।

**41. मात्रा की सीमा:-**

(अ) निविदा अनुमोदन की स्थिति पश्चात क्रय आदेश में पाठ्यपुस्तकों की संख्या में 50 प्रतिशत तक कमी की जा सकती है जो निविदा दाता को मान्य होगी।

(ब) आदेश को फिर से देना – यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (repeat orders) भी निविदा में दी गई शर्तों पर दिये जा सकेंगे। परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गई मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने की दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।

**42 प्रथम** न्यूनतम दरदाता फर्म को कार्य क्षमता के अनुसार कार्य आवंटित करने के पश्चात प्रथम न्यूनतम दरदाता फर्म की दरों पर ही सहमति उपरान्त अन्य निविदा दाता फर्मों को कार्य क्षमता के आधार पर कार्य आवंटित किया जा सकता है

**43.** यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

**44.** यदि संविदा के निर्वचन (interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो इस संबंध में अध्यक्ष निष्पादक मण्डल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का निर्णय अन्तिम होगा।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

**45.** समस्त कानूनी कार्यवाहियाँ, यदि किसी भी पक्ष (राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर अथवा संविदाकार) द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पड़े तो, जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रारम्भ करनी होगी किसी अन्य स्थान पर नहीं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व सील  
मय पता व फोन नम्बर



# राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

## BID-DATA SHEET

- विषय— राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर पुस्तक मुद्रण हेतु ई— टेण्डर प्रपत्र वैब ऑफसेट एक/चार रंग मुद्रण हेतु
- (1) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूर्ण पता  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
- (2) दूरभाष नम्बर ऑफिस ..... निवास .....  
मोबाईल ..... फैक्स ..... ई—मेल .....
- निविदा प्रेषण: निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पते पर।
- सन्दर्भ :- निविदा सूचना दिनांक .....
- निविदा शुल्क की राशि रु. 1000/- (अक्षरे रु. एक हजार मात्र) जमा करा दी गई। (डिमाण्ड ड्राफ्ट/रोकड़ रसीद संख्या ..... दिनांक .....)
- निविदा सूचना दिनांक ..... जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के द्वारा जारी की गई हैं, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न प्रपत्र में दी गई हैं (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतिस्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) का भी पालन करने के लिए सहमत हैं।
- अमानत राशि हेतु निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में रु. .... (अक्षरे .....  
.....) ड्राफ्ट/रसीद संख्या ..... दिनांक .....द्वारा जमा करा दी गई है।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

8. प्रक्रिया शुल्क की राशि रू. 1000/- (अक्षरे रू. एक हजार मात्र) मैनेजिंग डॉयरेक्टर, आर.आई.एस.एल, जयपुर के पक्ष में रू. .... (अक्षरे ..... ) ड्राफ्ट/रसीद संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा जमा करा दी गई है।

9. बैंक खाते संबंधी विवरण :-

(क) खाता संख्या .....

(ख) खाते का प्रकार .....

(ग) बैंक का नाम .....

(घ) शाखा का नाम .....

(ङ) बैंक का IFS कोड .....

दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर

एवं फर्म की मोहर

# राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

## निविदादाता फर्मों की निविदा में पात्रता हेतु न्यूनतम अहर्ताएँ

### 1. निविदाकार हेतु आवश्यक अहर्ताएँ एवं योग्यताएँ :-

- (i) मुद्रणकर्ता फर्म निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से पिछले 5 वर्षों से कार्यरत होनी चाहिए।
  - (ii) निविदादाता फर्म का पिछले तीन वर्षों (2013-14, 2014-15 व 2015-16) के अंकेक्षित लेखों के आधार पर तीनों वर्षों का औसत टर्न ओवर रूपये 4 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।
  - (iii) निविदादाता फर्म को पिछले तीन वर्षों (2013-14, 2014-15 व 2015-16) के वित्तीय अंकेक्षित लेखे संलग्न करने चाहिये, जिनमें फर्म की आर्थिक सुदृढता प्रदर्शित हो।
  - (iv) निविदादाता के पास 578 एम.एम कट ऑफ साईज की 1 वैब ऑफसेट मशीन 4 कलर व 2 वैब ऑफसेट मशीन सिंगल कलर, एवं 4 कलर शीटफेड मशीन, एक (23X36/28X40/18X26 न्यूनतम इनमें से एक) प्लेट मैकिंग बाइण्डिंग सेक्सन एवं अन्य मुद्रण से संबंधित उपकरणों का होना आवश्यक है। मशीन होने के प्रमाण स्वरूप क्रय दस्तावेजों की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
  - (v) तकनीकी निविदा के साथ विक्रयकर/वैट/कामर्शियल टैक्स शोधन का मार्च-2016 तक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जिस राज्य में ऐसा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता उस राज्य में स्थित फर्मों द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है कि मार्च 2016 तक का केन्द्रीय बिक्रीकर/वैट बकाया नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेख करना होगा की उनके राज्य में विक्रय कर शोधन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।
2. संलग्न दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जा सकती है।
3. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड के साथ मोहरबन्द लिफाफे में निर्धारित अमानत राशि, वैध बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र, संस्थान का पंजीयन प्रमाण पत्र, संस्थान की वित्तीय स्थिति, निविदा की बाकी शर्तों के अनुसार वांछित दस्तावेज एवं प्रपत्र "क" में वर्णित दस्तावेजों को हस्ताक्षरित कर अपलोड करना होगा।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

4. निविदादाता के पास न्यूनतम निम्न संख्यानुसार तकनीकी मशीनें उपलब्ध होनी चाहिए:-

क्र.सं.	मशीनों का विवरण	न्यूनतम संख्या	उपलब्ध मशीनों की संख्या
1	4 कलर शीटफेड साईज 23X36/28X40/18X26 (न्यूनतम इनमे से कोई एक)	1	
2	4 कलर वेब मशीन 578MM कट	1	
3	01 कलर की मशीन 578MM कट	2	
4	कटिंग मशीन	2	
5	स्टेचिंग मशीन	4	
6	ग्लू पेस्टिंग मशीन	1	
7	कम्प्यूटर मय लेजर प्रिन्टर	1	
8	VAT क्लियरिन्स प्रमाण पत्र 31.03.2016 का	गत एक वर्ष	
9	आयकर रिटर्न (गत तीन वित्तीय वर्ष)	गत तीन वर्ष	
10	ऑडिट रिपोर्ट (गत तीन वित्तीय वर्ष)	गत तीन वर्ष	

नोट:— गत तीन वित्तीय वर्षों से आशय— 2013–14, 2014–15 एवं वर्ष 2015–16

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)  
फर्म की रबड़ मोहर

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर  
तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम .....

2. कार्य प्रारम्भ वर्ष .....

3. निविदादाता का पूर्ण पता .....

दूरभाष नं. (कार्यालय) ..... (प्रेस) ..... (निवास).....

फैक्स नं. .... मोबाइल नं. ....

पैन कार्ड संख्या ..... (प्रति अपलोड करें)

वैट संख्या ..... (प्रति अपलोड करें)

बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र (मार्च 2016 तक)

4. प्रेस मालिक/साझेदारों के नाम एवं निवास का पूर्ण पता

.....

.....

.....

दूरभाष (निवास) ..... मोबाइल नं. ....

5. क्या मुद्रक का सस्थान/ प्रेस फैक्टरी एक्ट में पंजीकृत है? (पंजीकृत है/पंजीकृत नहीं)

(यदि हाँ, तो पंजीकरण की स्कैन प्रति अपलोड करें)

6. जमा अमानत राशि, टैण्डर फीस तथा प्रक्रिया शुल्क का विवरण—

(i) अमानत राशि रूपये 8,00,000/— का विवरण (निविदा शर्त—3 के अनुसार),

(निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के नाम)

बैंक ड्राफ्ट : बैंक का नाम..... स्थान.....

ड्राफ्ट ..... दिनांक ..... राशि रु.....

(प्रति अपलोड करें)

(ii) टैण्डर फीस रूपये 1000/— का विवरण

(निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के नाम)

बैंक ड्राफ्ट : बैंक का नाम..... स्थान.....

ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... राशि रु.....

(प्रति अपलोड करें)

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)

फर्म की रबड़ मोहर

(iii) प्रक्रिया शुल्क रूपये 1000/— का विवरण

(Managing Director, RISL, Jaipur के नाम)

बैंक ड्राफ्ट : बैंक का नाम..... स्थान.....

ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... राशि रू.....

(प्रति अपलोड करें)

7. क्या मुद्रक का सस्थान निदेशक उद्योग, राजस्थान, जयपुर में लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत है ? हाँ/नहीं

यदि हां, तो पंजीकरण स्थाई/अस्थायी है ? : .....

यदि अस्थायी है तो वैधता तिथि : .....

(यदि पंजीकृत है तो पंजीकरण की स्कैन प्रति अपलोड करें।)

8. पुस्तकों के मुद्रण कार्य का गत पांच वर्षों का अनुभव

क्र.सं.	कार्य वर्ष	मुद्रण प्रकार वैब/शीटफेड	पुस्तकों की संख्या	प्रयुक्त कागज का वज़न (मैट्रिक टन)
1				
2				
3				
4				
5				

9. संयंत्र एवं उपकरण का विवरण : यह विवरण वर्तमान स्थिति अनुसार अंकित करें। संभावना के आधार पर नहीं। अन्य मुद्रक के नाम की मशीनों को स्वयं के उपयोग हेतु सम्मिलित नहीं माना जाएगा। मुद्रक की क्षमता का आंकलन उनके नामें एवं प्रेस में संचालित मशीनों के आधार पर किया जाएगा। मशीनों का विवरण निम्नलिखित टेबल फॉरमेट में केवल उन्हीं मशीनों का दिया जावेगा, जो निविदा के अनुसार वांछित हैं।

नोट: वैब ऑफ़सैट मशीन 4 कलर की 1 व सिंगल कलर की 2 मशीन 578 एम.एम. कट की होना आवश्यक है। इनके क्रय बिलों की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। जिसके अभाव में निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)

फर्म की रबड़ मोहर



(i)

क्र. सं.	वैब ऑफसेट मशीनों का विवरण मार्क (मेक) सहित	कट साइज	कलर	प्रति घंटे की छपाई क्षमता (रीम में)
1				
2				
3				
4				

(ii) शीटफैड मशीनों का विवरण

क्र. सं.	शीटफैड मशीनों के विवरण (मेक) सहित	मशीन नम्बर	मशीन का साइज	कट साइज	कलर	प्रति घंटे की छपाई क्षमता (रिम में)
1						
2						
3						
4						

iii) बाईडिंग उपकरण का विवरण :

- (a) कटिंग मशीन की संख्या : .....
- (b) स्टिचिंग मशीन की संख्या : .....
- (c) संग्रहण सुविधा (क्षेत्रफल में) : .....
- (d) परफैक्ट बाईडिंग, ग्ल्यू पेस्टिंग की सुविधा : .....

10. प्रेस में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण :

- i) कार्यालय में कार्यरत संख्या : .....
- ii) मुद्रण विभाग में कार्यरत संख्या : .....
- iii) बाईडिंग विभाग में कार्यरत संख्या : .....साप्ताहिक

अवकाश : .....

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)

फर्म की रबड़ मोहर

11. वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के अंकेक्षित लेखों की प्रति संलग्न करें।
12. गत तीन वित्तीय वर्षों (2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) का औसत वार्षिक टर्न ओवर ( औसत वार्षिक टर्नओवर 4 करोड़ रुपये होना आवश्यक है )

2013–14 का टर्नओवर .....

2014–15 का टर्नओवर .....

2015–16 का टर्नओवर .....

कुल योग .....

समर्थित दस्तावेज संलग्न है।

13. निविदा में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं, (जिसे समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं ।
14. स्वीकार्य है कि निविदा दरें अनुबंध हस्ताक्षरित होने की तिथि से एक वर्ष तक विधि मान्य होगी।
15. निविदा की वैधता, वित्तीय बोली खुलने की दिनांक से 90 दिवस/तीन माह तक रहेगी। इसको पारस्परिक सहमति से 90 दिवस/तीन माह और बढ़ाया जा सकता है।

दिनांक .....

(मुद्रक/साझेदार/निविदादाता के पूरे हस्ताक्षर)

फर्म की रबड़ मोहर



**राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर**  
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)  
**एकलव्य भवन**

डॉ0 एस0 राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर  
फोन:-5150938, फैक्स :-0141-2705067

website:<http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail:[rajasthansos@gmail.com](mailto:rajasthansos@gmail.com)

**वित्तीय निविदा प्रपत्र**

**सामान्य निर्देश:-**

1. न्यूनतम दरदाता का निधरण विषयवार किया जावेगा।
2. समस्त दरें एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन (आदेश में उल्लेखित स्थान) होगी और उनमें कर शामिल नहीं होने चाहिए एवं करों को पृथक से दर के रूप में वित्तीय बिड के नीचे प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आरएसओएस द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा और सामान की सुपुर्दगी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कार्यालय अथवा गोदाम पर करनी होगी।
3. सफल निविदादाता की अनुमोदित दरें अनुबंध की तारीख से 12 माह की अवधि के लिए वैध होगी। विभाग द्वारा कार्यादेश समय-समय पर पृथक से जारी किये जायेगे जिसके अनुसार फर्म को अनुमोदित दरों पर पुस्तकों की छपाई कर निर्धारित अवधि में आपूर्ति करनी होगी।
4. दरें शब्दों व अंकों (दोनों) में लिखी होनी आवश्यक है।

<b>Rajasthan State Open School</b>											
<b>Secondary Syllabus</b>											
S.N.	Code No.	Name of Book	Volume	Page No.	Colour	Estimated No. Of Books	Rate Per Volume without Taxes (In Rs.)	Taxes (In Rs.)	Rate per Volume including Taxes (In Rs.)	Rate per Book including Taxes (In Figure)	Rate per Book including Taxes (In Words)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(8+9)=10	11	12
1	201	हिन्दी	VOL I	276	4	56500					
2			VOL II	184	4	56500					
3	202	अंग्रेजी	VOL I	268	4	6000					
4			VOL II	268	4	10000					
5	209	संस्कृत	VOL I	228	4	7300					
6			VOL II	226	4	7300					
7	211	गणित	VOL I	292	4	4700					
8			VOL II	468	4	4700					
9			VOL III	72	4	4700					

10			VOL I	484	4	7200					
11			VOL II	420	4	7200					
12	212	विज्ञान	VOL III	128	4	7200					
13			VOL I	340	4	39700					
14	213	सामाजिक विज्ञान	VOL II	312	4	39700					
15			VOL I	152	4	6700					
16	214	अर्थशास्त्र	VOL II	168	4	6700					
17	215	व्यवसाय अध्ययन	VOL I	344	4	24900					
18			VOL I	258	4	48600					
19			VOL II	292	4	48600					
20	216	गृह विज्ञान	VOL III	48	4	48600					
21			VOL I	172	4	16000					
22	222	मनोविज्ञान	VOL II	192	4	16000					
23	223	भारतीय संस्कृति तथा विरासत	VOL I	380	4	31800					
24			VOL I थ्यौरी	124	4	38600					
25			VOL II प्रयो.	48	4	38600					
26	225	चित्रकला	VOL III प्रयो. संद.	64	4	38600					
27	229	डेटा एन्ट्री	VOL I	252	1	6400					
		<b>Total</b>				<b>628800</b>					

Sr. Secondary Syllabus											
S.N.	Code No.	Name of Book	Volume	Page No.	Colour	Estimated No. Of Books	Rate Per Volume without Taxes (In Rs.)	Taxes (In Rs.)	Rate per Volume including Taxes (In Rs.)	Rate per Book including Taxes (In Figure)	Rate per Book including Taxes (In Words)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(8+9)=10	11	12
1			vol I	440	1	31400					
2			vol II	396	1	31400					
3	301	हिन्दी	vol III	256	1	31400					
4			vol I	252	1	8000					
5	302	अंग्रेजी	vol II	152	1	9400					
6			vol I	344	1	13100					
7	315	इतिहास	vol II	340	1	13100					

8	316	भूगोल	vol I	336	1	4200				
9			vol II	396	1	4700				
10			vol III	356	1	4700				
11	317	राजनीति विज्ञान	vol I	208	1	9900				
12			vol II	144	1	9900				
13			vol III	104	1	9900				
14	318	अर्थशास्त्र	vol I	356	2	3700				
15			vol II	96	2	3700				
16	319	व्यवसाय ध्ययन	vol I	340	2	10600				
17			vol II	460	2	10600				
18	321	गृह विज्ञान	vol I	268	1	22000				
19			vol II	392	1	22000				
20			vol III	92	1	22000				
21	328	मनोविज्ञान	vol I	368	1	7200				
22			vol II	152	1	7200				
23	331	समाजशास्त्र	vol I	376	1	15400				
24			vol II	264	1	15400				
25	332	चित्रकला	vol I	168	4	15100				
26			vol II	80	4	15100				
27			vol III	44	4	15100				
28	333	पर्यावरण विज्ञान	vol I	360	1	8200				
29			vol II	472	1	8200				
30			vol III	88	1	8200				
		<b>Total</b>				<b>390800</b>				

## निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस कार्य/सामग्री के लिए निविदा दी है उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता /थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत/ सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट/डीलर हूँ/है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म मुद्रण कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। फर्म द्वारा वर्तमान में मुद्रण व्यवसाय किया जा रहा है तथा फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व में उपरोक्तानुसार मशीन, उपकरण तथा तकनीकी जानकारी आदि उपलब्ध है। मेरी/हमारी फर्म के निरीक्षण के दौरान यदि कोई बात तथ्यात्मक/दस्तावेजी रूप में गलत पायी जाती है तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल किसी भी स्तर पर मेरा/हमारा कार्यादेश निरस्त करने के व मेरे/हमारे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा। निरीक्षण पर हुए/होने वाले व्यय भी मेरे/हमारे से वसूल कर सकेगा।

केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार या इसके अधीन किसी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम आदि अथवा किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप से समपहृत कर लिया जावेगा। निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द कर दिया जाएगा।

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करता/करते हूँ/हैं, कि यदि मुझे/हमें यह कार्य आवंटित होता है तो इसकी सम्पूर्ण गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त निविदा की समस्त शर्तें मैंने/हमने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है और मुझे/हमें स्वीकार हैं। निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर का निर्णय मुझे/हमें स्वीकार होगा।

निविदाकार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
के हस्ताक्षर मय सील

### **Declaration by the Bidder regarding qualification**

In relation to my/our Bid submitted to ----- for procurement of -----  
----- in response to their Notice Inviting Bids No. ----- Dated -----  
- I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that

- 1- I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2- I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- 3- I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4- I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 5- I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of Bidder

Place :

Name :

Designation

Address :



**राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर**  
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)  
**एकलव्य भवन**

डॉ0 एस0 राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर  
फोन:-5150938, फैक्स :-0141-2705067

website:<http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail:[rajasthansos@gmail.com](mailto:rajasthansos@gmail.com)

ई-निविदा सूचना संख्या 04 वर्ष 2016-17

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा पाठ्यपुस्तकों के निर्माण (मय कागज) एवं वैब ऑफसैट पद्धति से मुद्रण कराने हेतु मुद्रकों से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ऑनलाईन ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया के माध्यम निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा की अनुमानित लागत :	लगभग 4 करोड़ रुपये
ऑनलाईन निविदा फार्म डाउनलोड करने की दिनांक	07.10.2016 से 07.11.2016 तक समय:- प्रातः 9:00 बजे <a href="http://www.rsos.rajasthan.gov.in">http://www.rsos.rajasthan.gov.in</a>
ऑनलाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक	07.10.2016 से 07.11.2016 तक समय:- प्रातः 9:00 बजे
अमानत राशि एवं टैण्डर फीस का डी.डी., निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में एवं प्रक्रिया शुल्क का डी.डी. मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई. एस.एल, जयपुर के पक्ष में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय।	07.11.2016 को समय:- दोपहर 12:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	07.11.2016 को अपराह्न 3:00 बजे

यह निविदाएं ऑनलाइन टू बिड पद्धति से आमंत्रित की जाकर निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, के कार्यालय में उपर्युक्तानुसार निर्धारित तिथि को खोली जावेगी। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं शर्तें वैबसाईट <http://www.rsos.rajasthan.gov.in> तथा <http://www.sppp.raj.nic.in> पर देखी जा सकती हैं एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> से निविदा प्रपत्र अपलोड किये व देखे जा सकते हैं।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Signature Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

निदेशक